

प्रत्याख्यान:- “स्थानीय भाषा में अनुवादित न्यायनिर्णय मात्र पक्षकारों को उनकी भाषा में समझने पर्यन्त ही सीमित है एवं किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोगार्थ नहीं है। सभी व्यावहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों हेतु, न्यायनिर्णय के **आंग्लभाषा संस्करण** को ही प्रामाणिक माना जावेगा तथा निष्पादन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रभावी माना जावेगा।”

रिपोर्टेबल

**भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष
आपराधिक अपीलैटेड क्षेत्राधिकार**

किमीनल अपील कं. 483/2019
(एस.एल.पी. (आपराधिक) क. 4608/2016 से उत्पन्न)

रिपुदमन सिंह

अपीलार्थी

विरुद्ध

बालकृष्णन

प्रतिवादी

किमीनल अपील कं. 484/2019
(एस.एल.पी. (आपराधिक) क. 4610/2016 से उत्पन्न)

निर्णय

न्यायाधिपति, डॉ. धनन्जय वाय. चन्द्रचुड,

लिव ग्रान्टेड

यह अपीलें माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय की विद्वान एकल खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 31.03.2016 से उत्पन्न है। विद्वान एकल पीठ ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत याचिका स्वीकार करते हुए पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपीलार्थी की शिकायतों को खारिज किया है।

अपीलार्थी पति-पत्नि है। कुछ कृषि भूमि के मालिक होने का दावा करते हुए उन्होंने प्रतिवादी के साथ दिनांक 28.05.2013 को विक्रय अनुबंध किया। विक्रय प्रतिफल 1.75 करोड़ रूपए था। अनुबंध के रिकॉर्ड के अनुसार 1.25 करोड़ राशि का भुगतान नकद में किया गया और शेष राशि के लिए आगे की दिनांक के दो चेक जारी किए गए जो कि 25-25 लाख की राशि के थे।

प्रतिवादी द्वारा वर्तमान अपील के दोनों अपीलकर्ताओं के पक्ष में चेक जारी किए गए थे।
चेक के विवरण निम्नानुसार है :

- (1) रिपुदमन सिंह के पक्ष में 25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) राशि का चेक क्रमांक 297551 दिनांक 03/06/2013 इंदुसिंद बैंक, इंदौर द्वारा जारी किया गया था।
- (2) श्रीमती उषा के पक्ष में 25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) राशि का चेक क्रमांक 297552 दिनांक 02/07/2013 इंदुसिंद बैंक, इंदौर द्वारा जारी किया गया था।

समझौते के साथ अपीलार्थियों ने प्रतिवादी के पक्ष में एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की थी। भुगतान के लिए पहले वाले चेक को जमा किया गया जिसे की 'अपर्याप्त फण्ड' की टिप्पणी सहित दिनांक 18/06/2013 को भुगतान राशि के बिना लौटा दिया गया था। दूसरा चेक जो कि 02/07/2013 का था उसे भी बैंकर द्वारा इसी टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया था।

21/06/2013 और 13/08/2013 को कानूनी नोटीस जारी करने के बाद अपीलार्थियों ने पराक्रम लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा न्यायीक प्रक्रिया शुरू की गई।

प्रतिवादी द्वारा दो अलग-अलग आवेदन पत्र दायर कर उपरोक्त शिकायतों से उन्मोचित करने की प्रार्थना की गई। उनके आवेदनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इंदौर द्वारा दिनांक 03/09/2014 को बर्खास्त कर दिया गया। 08/10/2014 को धारा 138 के तहत आरोप तय किए गए।

तब प्रतिवादी ने धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत एक याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की। शिकायत को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने उभयपक्षों के मध्य हुए अनुबंध के खण्ड 4 की शर्त का उल्लेख किया, जो कि निम्नानुसार है –

“विक्रता की उपरोक्त वर्णित संपत्ति पर किसी भी प्रकार

का कोई पारिवारिक विवाद नहीं है और ना ही कोई मामला अदालत में लंबित है। यदि किसी कारण से कोई

विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी विक्रेता पक्ष की रहेगी और चेक का भुगतान उक्त विवादों के समाधान के बाद ही होगा।”

उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया की भूमि के संबंध में सीविल प्रकरण नंबर 4-ए/2012 श्रीमान चोदहवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर के न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दिनांक 02/09/2011 के बाद से लंबित है। जिसमें शिकायत को दोषी पक्षकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इस आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा माना गया कि समझौते के खण्ड 4 में वर्णित शर्त के अनुसार दोनों चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय के अनुसार ये चेक किसी भी देनदारी या ऋण के सृजन के लिए नहीं अपितु शेष राशि के भुगतान के लिए जारी किए गए थे। धारा 138 के अंतर्गत दायर की गई शिकायत को इस आधार पर निरस्त किया गया कि प्रतिवादियों पर शिकायतकर्ताओं का कोई पैसा बकाया नहीं था।

उच्च न्यायालय के निर्णय पर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दिवान ने निवेदन किया कि तथ्य की बात यह है कि अपिलार्थियों द्वारा दोनों मामलों में जारी कि गई सामान्य पावर ऑफ ओटर्नी के आधार पर ही प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 03.08.2013 को उक्त भूमि के विक्रय हेतु 3.79 करोड़ रुपये के प्रतिफल के बदले विक्रय समझौता किया गया। अतः यह निवेदित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्पष्टतः गलत समझा गया है।

वही दूसरी ओर, प्रतिवादियों के ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विक्रय समझौता के खण्ड 04 के अनुसार विक्रय हेतु प्रस्तुत भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं था और ना ही न्यायालय में कोई मामला लंबित था। इसके अलावा, यह भी कहा गया था कि यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसे हल करना विक्रेता का कर्तव्य था और विवाद के समाधान के पश्चात ही चेक का भुगतान होगा।

हम खुद को उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश के इस निष्कर्ष को स्वीकार करने में असमर्थ पाते हैं कि चेक किसी दायित्व या ऋण का सृजन करने हेतु जारी नहीं किये गये थे अपितु केवल बकाया प्रतिफल के भुगतान हेतु और परिणामस्वरूप इसमें कोई विधिक रूप से लागु करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व नहीं थे। बेशक, विक्रय करार के अनुसरण में चेक जारी किये गये थे। हालाँकि यह स्थापित तथ्य है कि विक्रय समझौता पक्षकारों के मध्य अचल सम्पत्ति में कोई हित उत्पन्न नहीं करता है और ना ही यह पक्षकारों के मध्य कानूनी रूप से पालन योग्य संविदा का गठन कर सकता है। इसलिये ऐसा भुगतान जो कि इस तरह के समझौते के अनुसरण में किया जाता है वह धारा 138 के प्रयोजनों के लिये विधिवत प्रवर्तनिय ऋण या दायित्व के अनुसरण में किया गया भुगतान है।

इसके अलावा, पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर प्रतिवादी ने 03 अगस्त 2013 के बाद लेनदेन/ संव्यवहार किया। जाहिर है कि यह लेनदेन/ संव्यवहार कानूनी नोटिस दिनांक 21 जून 2013 के बाद हुआ था और इसलिये कानूनी नोटिस में इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता था। धारा 482 के तहत: उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपचार लेना प्रक्रिया का खुला दूरूपयोग था।

धारा 482 की कार्यवाही कि विषयवस्तु में यह सवाल नहीं हो सकता कि विक्रय करार के खण्ड 4 में प्रस्तुत आधार पर क्या कोई विवाद था जिससे कि विक्रय करार के अनुसरण में विक्रेता को पेश चेक का भुगतान करने के दायित्व से क्रेता को मुक्त करता है। इसका निर्धारण तो परीक्षण (ट्रायल) के समय प्रस्तुत सबूतों के आधार पर होना चाहिए।

इन कारणों से, हमारा विचार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत पेश याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय असमर्थनीय (unsustainable) है। अपील स्वीकार (allow) की जाती है और उच्च न्यायालय के व्यथित आदेश को अपास्त किया जाता है।

हालाँकि हम स्पष्ट करते हैं कि हमने उन मुद्दों के गुण दोषों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है जो परीक्षण के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं।

तदनुसार अपील डिस्पोस की जाती है।

यदि कोई लंबित आवेदन हो तो उसे भी डिस्पोस किया जाता है।

.....J.
(DR. DHANANJAYA Y. CHANDRACHUD)

.....J.
(HEMANT GUPTA)

नई दिल्ली
मार्च 13, 2019

प्रत्याख्यान:- “स्थानीय भाषा में अनुवादित न्यायनिर्णय मात्र पक्षकारों को उनकी भाषा में समझने पर्यन्त ही सीमित है एवं किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोगार्थ नहीं है। सभी व्यावहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों हेतु, न्यायनिर्णय के **आंग्लभाषा संस्करण** को ही प्रामाणिक माना जावेगा तथा निष्पादन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रभावी माना जावेगा।”

Translated by:
Dr. Surbhi Singh
(Ju. Jud. Translator)